



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



क्र: SECR-R0PERS(PnM)/170/2021-O/o SR.DPO/R/SECR

दिनांक /Date: 22-09 -2025

अधिसूचना सं.- 109 / 2025 / NOTIFICATION NO.- 109 / 2025

विषय- रायपुर मंडल के विद्युत/सामान्य विभाग के 25 प्रतिशत एस क्यू कोटा के अंतर्गत टेक्निशियन ग्रेड-III/ TRD लेवल-2 की पदोन्नति के संबंध में। Promotion to the post of Technician Gr-III/AC in Pay Matrix Level-2 against 25% Staff Qualified Quota in Electrical/General Department of Raipur Division.

रायपुर मंडल के विद्युत/TRD विभाग के 25 प्रतिशत एस क्यू कोटा के अंतर्गत टेक्निशियन ग्रेड-III/ TRD लेवल-2 की पदोन्नति के लिए 04 पदो(UR-04, SC-00, ST-00) हेतु पैनल जारी करने का प्रस्ताव है। यह पदोन्नति रायपुर मंडल के विद्युत/TRD विभाग में हेल्पर/TRD (लेवल-1) के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो शैक्षणिक योग्यता एवं सेवा शर्तों को पूर्ण करते हैं, के स्वैच्छिक आवेदन के आधार पर भरी जायेगी जिसका विवरण निम्नांकित है। It is proposed to form a panel for filling up of 04 posts(UR-04, SC-00, ST-00) of Technician Gr-III/TRD in Pay Matrix Level-2 against 25% Staff Qualified Quota (SQQ) in Electrical/TRD Department of Raipur Division by calling option from volunteers from amongst the serving employees i.e. Asstt./TRD in level-1 working in Electrical/TRD department of Raipur Division, possessing the educational qualifications and fulfilling the service conditions as detailed below.

रिक्तियों का विवरण निम्नांकित है The break-up of vacancies is as under:-

Community	UR	SC	ST	Total	Including one post of PwBD (OA, OL,CP,LC,DW,AAV)
No. of vacancies	04	00	00	04	

14. कर्मचारी की योग्यता एवं सेवा शर्तें/ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

14.1 रायपुर मंडल के विद्युत/ TRD विभाग में हेल्पर के पद पर कार्यरत सभी कर्मचारी जो दो (02) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है एवं 10वीं या संबंधित ट्रेड में आईटीआई/ एक्ट अप्रेंटिस की योग्यता रखते हैं, आवेदन कर सकते हैं। All serving Asstt. working in Electrical/ TRD Department who passed the minimum qualification of 10th class (Matriculation) or ITI passed/course completed act apprentice with having two years of regular service are eligible to volunteer for selection.

(Authority : Estt Rule No.52/98, 38/19 & 190/19)

14.2 आरबीई सं. 117 / 2006 (स्थापना सं. 190 / 2006) के अनुसार कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि अधिसूचना जारी होने की तिथि से की जानी चाहिए। अतः इच्छुक कर्मचारी अधिसूचना जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक- **29.09.2025** को शैक्षणिक योग्यता एवं सेवा शर्तें पूर्ण की जानी चाहिए। The cut-off date for determining the eligibility of staff should be the date of issue of notification. As such the volunteering employees should fulfill the service conditions of age and educational qualification and other service conditions as on the date of issue of this notification i.e. as on **29.09.2025**.

(Authority : Estt Rule No.190/2006)

Conti. at page no.-2

2.

14.3 वैसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति सब्सटिच्यूट के पद पर हुई है एवं ग्रुप डी के पद पर नियमित किया गया है, की दो वर्ष की सेवा शर्तें उनके नियमितीकरण की तिथि से गणना की जायेगी। The staff who are appointed as substitutes and subsequently regularized in a erstwhile group 'D' posts are required to fulfill the service condition of (02) two years counted from the date of regularization.

टिप्पणी / Note: वैसे कर्मचारी जो इस मंडल में स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे/मंडल स्थानांतरण के तहत निम्न वरियता में रिपोर्ट किया है उनके पुराने सेवा अवधि को पात्रता के उद्देश्य के लिए शामिल किया जायेगा। In respect of employees who have reported/joined on this division on Inter Railway request transfer/Inter Divisional request transfer on bottom seniority, the service rendered in the old unit will count for the purpose of qualification service for promotion in the new seniority unit provided: -

- iii. यदि वह मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रुप-सी पद पर चयन के लिए पात्र है। He/She is otherwise eligible to be considered for the selection to Group 'C' post as per extant rules; and
- iv. यदि कर्मचारी पुराने यूनिट में जिस पद/चयन के लिए योग्य था तो वे नई यूनिट में भी उस पद/चयन के लिए योग्य होगा। The category in which he/she was working in the old unit is an eligible category for the selection/post in the new unit also.

(Authority : Estt Rule No.52/2006 & 163/2006)

15. चयन पूर्व प्रशिक्षण / PRE-SELECTION COACHING:

CPO/BSP के पत्र संख्या- P-HQ/RUL/105/2 के अनुसार जब सभी रिक्तियाँ सामान्य श्रेणी से संबंधित होंगी, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। As per CPO/BSP's Letter No.- P-HQ/RUL/105/2 when all the vacancies are related to the general category, training will not be provided to the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

16. चयन का तरीका एवं योग्यता अंक / MODE OF SELECTION AND QUALIFYING MARKS.

उम्मीदवार की व्यावसायिक क्षमता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे की चयन प्रक्रिया यानी सेवा के रिकॉर्ड, एपीएआर आदि की स्क्रीनिंग के लिए विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार को व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। The written exam will be conducted to assess the professional ability of the candidate. The candidate has to obtain minimum 60% of marks in the professional ability for being considered for further selection process i.e. screening of record of service, APARs etc.

- 16.1 टेकनिशियन ग्रेड— III/TRD का पद सुरक्षा संबंधित पद है इसलिए इस परीक्षा में एस सी/एस टी उम्मीदवारों के लिए कोई छुट नहीं है। उन्हें भी सामान्य उम्मीदवारों की तरह प्रोफेशनल एबिलिटी के साथ ही साथ कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। The post of Tech Gr-III/TRD being a safety one, there will be no relaxation in qualifying marks for candidates belonging to SC/ST community. They have to obtain minimum of 60% in written test & 60% in aggregate.

Factors/Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
Professional ability	85	60%
Record of service	15	
Total	100	60%

3.

16.2 सेवा अभिलेख के अंतर्गत अंको का वितरण Distribution of marks under head record of service:-

15 marks	1. पिछले तीन वर्ष के एपीएआर के आधार पर On the basis of grading of APARs of last three years. 2. सेवा पुस्तिका में दर्ज पुरस्कार/दंड के आधार पर On the basis of entries of Award/Punishment in the SR	प्रत्येक प्रकरण में किसी भी स्थिति में अधिकतम 15 अंक होगी <u>In any case the total marks under this head should not exceed 15 marks.</u>
----------	---	---

16.3 अंतिम पैनल प्रोफेशनल योग्यता एवं सेवा अभिलेख के कुल अंको के आधार पर योग्यता के क्रम में तैयार किया जायेगा। हालांकि, प्रोफेशनल योग्यता में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक एवं पैनल में रखे जाने के लिए प्रोफेशनल योग्यता एवं सेवा अभिलेख मिलाकर भी कुल 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवारों का 'उत्कृष्ट' का वर्गीकरण नहीं होगा। The final panel will be drawn up in the order of merit based on aggregate marks of 'Professional ability' and 'Records of service'. However, the employees must secure minimum of 60% marks in 'Professional ability' and 60% marks in aggregate of Professional ability' and 'Records of service', for being placed on the panel. There will be no classification of candidates as 'Outstanding'.

17. पाठ्यक्रम / SYLLABUS:

संभावित पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारियों में व्यापक प्रसार के लिए अनुलग्नक 'ब' में संलग्न है। The tentative syllabus is enclosed at Annexure-A for wide publication amongst the staff concerned.

18. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया / PROCEDURE FOR WRITTEN EXAMINATION:

पीसीपीओ/बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 359/2018 के अंतर्गत प्रसारित रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)1/2018/पीएम 1/4, दिनांक 14.12.2018 के अनुसार, लिखित परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय/ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें 110 प्रश्न (राजभाषा नियम पर 10 प्रश्न सहित) होंगे, जो पाठ्यक्रम (अनुलग्नक-बी) में उल्लिखित विषयों को कवर करेंगे, प्रश्न पत्र में राजभाषा नीति पर प्रश्न शामिल करना अनिवार्य है लेकिन उम्मीदवार ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीदवार को किसी भी 100 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र की परीक्षा की अवधि 90-120 मिनट होगी। In terms of Rly. Brd's letter No.E(NG)1/2018/PM 1/4, dt.14.12.2018, circulated under PCPO/BSP's Estt Rule No. No.359/2018, the written examination will be Computer Based Test (CBT) with 100% objective type questions with multiple choice. There will be 110 questions (including 10 questions on official language Rule) covering the topics mentioned in the syllabus (Annexure-B). Inclusion of questions on official language policy is compulsory but there shall be no compulsion on the part of candidates to answer such question, candidates are required to answer any 100 questions. The duration of examination under objective type multiple choice will be 90-120 minutes.

कर्मचारी ध्यान दें कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा क्योंकि पैनल योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी) 1 / 2018 / पीएम 1/4 दिनांक 14.11.2019 (आरबीई संख्या 194/2019) के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से एक तिहाई (1/3) अंक गलत उत्तरों के लिए काटे जाएंगे, जो पीसीपीओ / बीएसपी के स्थापना नियम संख्या 315/2019 के तहत प्रसारित किया गया है। Employees should note that there shall be negative marking for each incorrect answer, as the panel will be drawn on merit. One-third (1/3) of the marks allotted for each question will be deducted for wrong answers in terms of Rly. Brd's letter No.E(NG)1/2018/PM 1/4 dt.14.11.2019 (RBE No.194/2019) circulated under PCPO/BSP's Estt Rule No. 315/2019

(Authority: PCPO/BSP'Estt.Rule No.359/18 & 164/19)

4.

19. पूरक परीक्षा / SUPPLEMENTARY EXAMINATION

सीबीटी परीक्षा में अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए कोई पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। No supplementary examination/Test will be conducted for the candidates who remains absent in the CBT.

20. परीक्षा का केन्द्र एवं दिनांक / DATE & VENUE OF EXAMINATION:**20.1 Important dates:**

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि Last date submission of applications	29-09-2025
पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण Tentative commencing of pre-selection training	NA
परीक्षा की तिथि Date of written examination	Will be intimated later on
परीक्षा केंद्र / Venue	
परीक्षा की समयावधि Duration of Examination	90-120 Minutes.

20.2 इच्छुक कर्मचारियों को सहलाह दी जाती है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि यह चयन स्वैच्छिक कर्मचारियों के विकल्प के आधार पर की जाती है। It is to be advised to the volunteering staff that there will be no supplementary examination to the absentees, since the selection is by calling options.

21. NOTIFYING TO THE STAFF:

21.1 रायपुर मंडल के विद्युत/TRD विभाग के कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना को आवश्यक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। इस अधिसूचना की एक प्रति विशिष्ट स्थान के नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। विद्युत/सामान्य विभाग के वैसे कर्मचारी जो इसके लिए योग्य हैं एवं वे अवकाश/सिक/डेपुटेशन पर हैं उन्हें भी सूचित किया जाना आवश्यक है ताकि वे समय पर आवेदन जमा कर सकें। यह जिम्मेदारी संबंधित सुपरवाइजर/अधिकारी को है। इस संबंध में यह भी सलाह दी जाती है कि चयन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना सभी संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लिया जायेगा। The controlling officer/supervisor shall give wide publicity of notification to all eligible staff of Electrical/TRD Department of Raipur Division and notification should be displayed at conspicuous place. Staff who are on deputation/leave/sick should also be notified to enable them to submit their applications in time. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect. Any laxity in this regard will be viewed seriously.

22. आवेदन कैसे करें /How to apply:

22.1 कर्मचारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 'ब') में पूर्ण रूप से भर कर उचित माध्यम के द्वारा जमा करेंगे। The employees should submit the application in the prescribed format through proper channel enclosed as Annexure- 'B'

22.2 कर्मचारी को आवेदन काला या नीला पेन के द्वारा अपने हाथ से भरा जाना चाहिए। They should fill up the application form in their own writing with blue or black ball point pen only.

22.2 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आवेदन के सभी कॉलम पूर्ण से भरा जाना चाहिए एवं लागू नहीं हाने वाले कॉलमों को काट दे एवं आवश्यक रूप से "NA" लिखा जाना चाहिए एवं आवेदन में भरे गए सभी कॉलम को आवश्यक जांच के उपरांत सत्यापित एवं अग्रेषित किया जाना चाहिए। It may be noted that all the relevant columns in the application should be filled completely & strike out the inapplicable columns indicating as "NA" and forward duly verified & certified by the controlling supervisors/officers wherever specified in the application or otherwise same will not be considered.

23. पैनलबद्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण / TRAINING OF THE EMPANELLED STAFF:

- 23.1 पैनलबद्ध कर्मचारी जो संबंधित ट्रेड में आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिसशिप पाठ्यक्रम पूर्ण किये हैं उन्हें ट्रेड टेस्ट के अधीन किया जा सकता है एवं टेक्नीशियन ग्रेड-III लेवल-2 में पदोन्नत किया जा सकता है। The empanelled staff possessing the qualification of ITI/Course completed Act Apprenticeship in the relevant trade in the railway establishment may be subjected to trade test and those possessing the same may be promoted as Technician Gr-III in paymatrix level-2.
- 23.2 यदि पैनलबद्ध कर्मचारी जो संबंधित ट्रेड में आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिसशिप पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं है तो उन्हें 21 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर्मचारियों का ट्रेड टेस्ट लिया जायेगा। ट्रेड टेस्ट में पास करने वाले कर्मचारियों को टेक्नीशियन ग्रेड-III/TRD लेवल-2 में पदोन्नत किया जायेगा। If the empanelled staff do not possess the qualification of ITI/Course completed Act Apprenticeship in the relevant trade in the Railway establishment will be imparted training for a period of 21 days. On completion of the training the staff will be subjected to trade test and those who pass the trade test will be promoted as Technician-III/TRD in paymatrix level-2. (Authority: PCPO/BSP'Estt.Rule No.52/98)

24. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि / LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

नियंत्रक अधिकारी सभी आवेदनों को एक बंच में डी एंड ए क्लियरेंस के साथ इस कार्यालय में दिनांक- **29.09.2025** तक प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दिया जायेगा। The controlling officer has to forward all the applications in a bunch to this office together with DAR/SPE/Vig clearance on or before **29-09-2025**. Applications received after the last date will summarily be rejected without assigning any reason.

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को संबंधित सुपरवाइजर/अधिकारी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि प्राप्त होता है तो इस पर विचार नहीं किया जायेगा। The applications received beyond the last date should not be entertained and rejected invariably by the controlling supervisors/officers and same will not be considered.

25. GENERAL CONDITION:

- 25.1 पद के लिए आवेदन करने से पहले कर्मचारी को निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और आवेदन जमा करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है। Before applying for the post, the employee should carefully read the instructions and ensure that he/she fulfills all eligibility conditions at the time of submission of applications.
- 25.2 केवल लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने से उम्मीदवारों को पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं मिलता Mere calling for written examination does not confer any right of promotion to the candidates.
- 25.3 सभी स्तरों पर कर्मचारी का प्रवेश निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन पूर्णतः अनंतिम होगा। Admission of the employee at all stage will be purely provisional subject to satisfying the prescribed conditions.
- 25.4 सेवा अभिलेखों से कर्मचारियों के विवरण की पुष्टि करने में उचित सावधानी बरती जाएगी। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी आवेदन में आरोप पत्र/पुरस्कार सहित अपने स्वयं के सेवा विवरण प्रस्तुत करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार है, और आवेदन में सेवा विवरण प्रस्तुत न करने के लिए भी समान रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार है। Due care will be taken in verifying the details of candidate from service records. However, each candidate is also equally liable & responsible to furnish his own service particulars including charge sheet/awards in the applications, and, also equally liable & responsible for non furnishing of service particulars in the application.
- 25.5 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुरस्कार प्रमाणपत्रों की एक प्रति (पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी 2022-23, 23-24, 24-25) जमा करें और परिणाम के प्रकाशन से पहले अपने ई-एसआर और भौतिक एसआर में प्रविष्टियां करें। परिणाम के प्रकाशन के बाद पुरस्कार प्रमाणपत्र को शामिल करने के उम्मीदवारों के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। Candidates are advised to submit a copy of award certificates (during last 3 years i.e. 2021-22, 22-23, 23-24,) and make entries in his e- SR and physical SR before publication of result. After publication of result the request of the candidates for inclusion of certificate of awards will not be considered.

6.

26. सामान्य निर्देश / GENERAL INFORMATION:

- 26.1 उपरोक्त लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन सही समय एवं स्थान पर उचित पहचान पत्र के साथ पहुंचें। To attend the above written exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.
- 26.2 यूनिट सुपरवाइजर को सलाह दी जाती है कि वे वहीं समय पर कर्मचारियों को उचित पहचान पत्र के साथ भारमुक्त करें। Unit incharge is advised to release the staff in time with proper identification memo.
- 26.3 यदि कर्मचारियों के द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग करते पाया जाता है तो उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है एवं उनके उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। If use any unfair means is noticed from the candidate, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.
- 26.4 यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो बिना किसी सूचना के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। If any discrepancy is found at any stage in regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information.
- 26.5 अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। In case of any discrepancy between English and Hindi versions of the notification, the English version will be treated as final.
- 26.5 किसी भी विवाद की स्थिति में प्रशासन कोई भी निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा। In case of any dispute, the administration will be the final authority to take any decision.

संलग्न / Encl: यथोक्त / As above

Digitally Signed by Sharma
 (महेंद्र कुमार शर्मा) Mahendra Kumar
 सहायक कार्मिक अधिकारी
 कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
 Date: 22-09-2025 19:31:34
 Reason: Approved

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / Copy forwarded for information and necessary action to:
 - वरि.मं.यां.इंजी. / TRD/रायपुर Sr. DEE/TRD/R, मं.स./अ.भा.अ.जा.अ.ज.जा.रे.क.सं/रायपुर DS/AISCSTREA/R, मं.स./
 द.पू.म.रे.अ.पी.व. क. सं/रायपुर DS/SECROBCEA/R

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी



दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



SECR-R0PERS(PnM)/132/2022-O/o SR.DPO/R/SECR

दिनांक- 09.10.2025

प्रति,

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/TRD

रायपुर

विषय:- 25% SQQ कोटा के विरुद्ध तकनिशियन-III/ TRD के पद पर पदोन्नती हेतु पात्र कर्मचारियों के संबंध में।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक- 109/2025, दिनांक- 22.09.2025

2. आप का पत्र क्रमांक- क.वि./रा./ई-5/ तकनिशियन-3/25% SQQ/202-24, दिनांक- 29.09.2025

3. आप का पत्र क्रमांक- क.वि./रा./ई-5/ तकनिशियन-3/25% SQQ/202-24, दिनांक- 08.10.2025

उपरोक्त विषयानुगत लेख है कि तकनिशियन-III/ TRD के पद हेतु 25% SQQ कोटा हेतु निर्धारित दो पदों(UR-04,SC-00,ST-00) हेतु इस कार्यालय से दिनांक- 22.09.2025 को अधिसूचना क्रमांक- 109/2025 जारी की गयी थी एवं इच्छुक कर्मचारियों को इस कार्यालय में दिनांक- 29.09.2025 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी। जिसके उपरांत संदर्भ क्रमांक-2 के द्वारा आप के कार्यालय से कर्मचारियों के आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। उक्त आवेदनो की जांच उपरांत आप के सम्मुख पात्र कर्मचारियों की सूची प्रेषित की गयी थी जिसके उपरांत संदर्भ क्रमांक- 3 आप के कार्यालय से 2 अन्य कर्मचारियों के आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किये गये जिसके आधार पर पात्र कर्मचारियों की नवीन सूची आप को प्रेषित की जा रही है जो निम्नानुसार है-

SN	Name	Designation	Working under	Categ.	Against
1	TULASI RAM	Asst./TRD	SSE/OHE/BYT	OBC	Against 'UR'
2	DILIP KUMAR	Asst./TRD	SSE/OHE/BYT	UR	Against 'UR'
3	AKASH KUMAR	Asst./TRD	SSE/OHE/BXA	OBC	Against 'UR'
4	NITESH KUMAR	Asst./TRD	SSE/OHE/BXA	OBC	Against 'UR'
5	BIRENDRA	Asst./TRD	SSE/OHE/BIA	SC	Against 'UR'
6	SANIM TANDON	Asst./TRD	SSE/OHE/BIA	SC	Against 'UR'
7	BHUSHAN KUMAR SAHU	Asst./TRD	SSE/OHE/BIA	OBC	Against 'UR'
8	ANUP CHANDRA SHARMA	Asst./TRD	SSE/PSI/R	UR	Against 'UR'
9	JHALAK RAM VERMA	Asst./TRD	SSE/OHE/BYT	OBC	Against 'UR'
10	PANKAJ KUMAR	Asst./TRD	SSE/OHE/Cons/BIA	OBC	Against 'UR'

चूंकी सभी पद सामान्य वर्ग से सम्बंधित है अतः मुख्यालय के पत्र क्रमांक- P-HQ/RUL/105/2, दिनांक- 13.07.2023 के अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को कोंचिंग प्रदान नहीं की जायेगी।

Digitally Signed by Sharma

Mehendra Kumar

सहायक कार्मिक अधिकारी-

कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, रायपुर

Date: 09.10.2025 13:32:13

Reason: Approved

Copy forwarded for information and necessary action to: -

Ch. OS/Electrical-TRD/Raipur

कृते, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

द. पू. म. रेल्वे, रायपुर



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय-गंडल विद्युत अभियंता (कर्मण वितरण), डी.आर.एम. कॉम्प्लेक्स रायपुर-492008
Office of Divisional Electrical Engineer (TRD), DRM Complex, Raipur-492008

No. 111/R/E-5/Artisan/15-16

Ref.: Office Note No. TRD/R/E-5/15-16/597 Dt. 17.09.2015.

Dt. 18.09.2015

SYLLABUS FOR TECH.-III POST IN ELECT. TRD IMA QUOTA 25% (SCC).

TECHNICAL

1. OHE Parameters.
2. Safety precautions during working in OHE.
3. Definition of Sector, sub-sector, Elementary Section.
4. Supply Control Post.
5. Interruptor, Section Interruptor, Bridging interruptor, Paralleling interruptor, A.T.D.
6. Different type warning board diagram.
7. Cantilever Assembly with names of items.
8. Regulated & Unregulated OHE.
9. Neutral Section, Insulated overlap, Uninsulated overlap.
10. Type of Masts and Portal.
11. Insulators & Conductors.
12. Names of OHE Spare.
13. Component of Cantilever with diagram.
14. Foundation and its quality control.
15. TSS, SSP, SP.
16. O.D.C. class of O.D.C., Classes according to vertical & horizontal clearances.
17. Type of Fire fighting equipment.
18. Type of Chemical Fire Extinguisher.
19. Fire Extinguisher used in Electrical Fire.
20. Bondings and Earthing.
21. Bonding arrangement in TSS and OHE.
22. PT, CT & AT.
23. Difference of PT & CT.
24. Uses of PT, CT & AT.
25. Relation between Voltage, current & resistance.
26. Bonding near level crossing.
27. Bonding of FOB & ROB.
28. Working clearance in 25 KV AC OHE.
29. Precaution during OHE maintenance.
30. Permit to Work.
31. Protection during Power Block work.
32. Relays & meters.
33. Foot Patrolling, Competency Certificate type, Knowledge on working rule.

ESTABLISHMENT:

- block section, Use of modern tools etc.
Discipline & Appeal Rules, Railway Servant Conduct Rules.
2 Rajbhasha, Constitutional provisions regarding official languages, official language ACT 1963

This has the approval of the DEE/TRD/R

ADDE/TRD/Raipur



No. TRD/R/E-5/Artisan/15-16

Ref.: Office Note No. TRD/R/E-5/15-16 Dt. 24.12.2015

SYLLABUS FOR TECH.-III POST IN ELECT. TRD IMA QUOTA 25% (SCQ) in Hindi.

तकनीकी

1. ओ एच ई पैरामीटर
2. ओ एच ई कार्य के दौरान ली जाने वाली संरक्षा सावधानियां
3. सेक्टर, सब सेक्टर, ऐलीमेंट्री सेक्शन की परिभाषा
4. सप्लाय कंट्रोल पोस्ट
5. इंड्रप्टर, सेक्शन इंड्रप्टर, ब्रीजिंग इंड्रप्टर, पैरालेलिंग इंड्रप्टर, ए टी डी
6. विभिन्न प्रकार की चेतावनी का बोर्ड आरेख
7. सामानो के नाम सहित कैंटीलीवर ऐसैंबली
8. रेग्युलेटेड और अनरेग्युलेटेड ओ एच ई
9. न्यूट्रल सेक्शन, इंसुलेटेड ओवरलेप, अनइंसुलेटेड ओवरलेप
10. मास्ट और पोर्टल के प्रकार
11. इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स
12. ओ एच ई स्पेयर के नाम
13. आरेख सहित कैंटीलीवर के कम्पोंनेंट
14. फॉउनडेशन और इसकी गुणवत्ता नियंत्रण
15. टीएसएस, एसएसपी, एसपी
16. ओडीसी, ओडीसी का वर्ग, लंबवत एवं क्षैतिजीय क्लीयरेंस के आधार पर वर्गीकरण (Classes according to vertical & horizontal clearances).
17. फायर फाईटिंग इक्वीपमेंट के प्रकार
18. रासायनिक अग्निशामक के प्रकार
19. विद्युतीय आग में प्रयुक्त किए जानेवाला अग्निशामन यंत्र
20. बॉडिंग और अर्थिंग
21. टीएसएस और ओएचई में बॉडिंग व्यवस्था
22. पीटी, सीटी, और एटी
23. पीटी, और सीटी में अन्तर
24. पीटी, सीटी, और एटी का प्रयोग

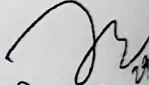
(4)

25. वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेन्स के बीच संबंध
26. समपार फाटक के समीप बांडिंग
27. एफ ओ बी और आर ओ बी की बांडिंग
28. 25 के व्ही एसी ओएचई में वर्किंग कलीयरेंस
29. ओएचई रखरखाव के दौरान सावधानियां
30. काम के लिए परमिट
31. पावर ब्लॉक कार्य के दौरान सुरक्षा (Protection)
32. रिलेस और मीटर्स
33. पैदल गश्त

स्थापना:

1. अनुशासन एवं अपिल नियम, रेल सेवक आचरण नियम
2. राजभाषा, राजकीय भाषा से संबंधित सांविधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम - 1963

इसे वरि. मंडल विद्युत अभियंता (कर्षण वितरण)/रायपुर का अनुमोदन प्राप्त है।


स.मंडल विद्युत अभियंता